कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–4/रजीगृ /जीव विज्ञान/स्थानान्तरण/2019–20 दिनांक–29.09.2019 के तहत लोकेश मधुकर, व्याख्याता, जीव विज्ञान का स्थानांतरण राउमावि, खरकड़ा, जयपुर से राउमावि, डूका, सीमलवाड़ा चौरासी, डूंगरपुर किया गया। लोकेश मधुकर ने अपने स्थानांतरण के विरूद्व माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3048/2019 लोकेश मधुकर बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर की। माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 04.11.2019 में अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपने पीडा व्यक्त करते हुए एक अभ्यावेदन पेश करते हुए और अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विधिनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) द्वारा निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश दिए।

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर निर्णय के क्रम में अपीलार्थी लोकेश मधुकर द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर विषम पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि शिवदासपुरा चाकसू, जयपुर/ राउमावि, बजाज नगर, जयपुर/शहीद मेजर दिग्विजय स्मॉल, खातीपुरा, झोटवाड़ा, जयपुर की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता की श्रेणी में रखा गया हैं। अपीलार्थी का प्रकरण इनमें से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता। अपीलार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतदद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा अपने आदेश

दिनांक 04.11.2019 में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का एक सकारण आख्यात्मक आदेश द्वारा निस्तारण किए जाने के आदेश प्राप्त थे। चूंकि श्री लोकेश मधुकर का अभ्यावेदन उपर्युक्त आधारो पर खारिज किया जा चुका है अतः इन्हें निर्देशित किया जाता है कि ये विभागीय आदेश दिनांक 29.09.2019 की अनुपालना में तत्काल कार्यमुक्त हो कर अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि, डूका, सीमलवाड़ा चौरासी, डूंगरपुर में व्याख्याता के पद पर दिनांक 30.11.2019 तक आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करें। अन्यथा इनके विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

(नथमल डिडेल)
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–4/रजीगृ/अभ्यावेदन/लोकेश मधुकर/ को.के/19–20 दिनांकः– 28-11-19

➢ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, डूंगरपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे श्री लोकेश मधुकर के निर्धारित तिथि तक स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किये जाने की स्थिती में उनके विरूद्ध सीसीए–17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव इस कार्यालय के विभागीय जाँच अनुभाग–प्रथम को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
5. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्राधानाचार्य राउमावि, खरकड़ा, जयपुर / राउमावि, डूका, सीमलवाड़ा चौरासी, डूंगरपुर ।
9. कार्मिक लोकेश मधुकर, व्या0 जीव विज्ञान राउमावि, डूका, सीमलवाड़ा चौरासी, डूंगरपुर ।
10. गार्ड पंजिका।

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर